2020/00623

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्रीमती हंजाबाई पत्नि स्व. श्री धर्मसिंह राठौड़
जाति राजपूत
निवासी सैनिक वास, सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
कोषाधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 73 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.12.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनॉक 07.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सातवें वेतन व पेंशन बढोतरी के लिये दिनांक 29.08.2020 को आवेदन किया था। लम्बे अंतराल के बाद भी अपीलांट को सातवें वेतन का ऐरियर एवं पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई। उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही को दिनॉक 07.09.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि सातवें वेतन व पेंशन बढोतरी के लिये दिनांक 29.08.2020 को आवेदन किया था। लम्बे अंतराल के बाद भी अपीलांट को सातवें वेतन का ऐरियर एवं पेंशन में वढ़ोतरी नहीं हुई। उपरोक्त सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि कोषाधिकारी सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 1009–11 दिनांक 12.11.2020 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलांट की अपील ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 17:42:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner